

-:प्रेस नोट दिनांक 20.07.2021:-

थाना नवाबगंज जनपद बरेली ।

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 17.07.2021 को ग्राम सिजौलिया के जंगल में गन्ने के खेत में मेड के किनारे इदरीशन उम्र 50 वर्ष पत्नी खलील अहमद निवासी सिजौलिया थाना नवाबगंज जिला बरेली की दुपट्टे से गला घोटकर हत्या कर शव डडिया वीरमनगला के मेघनाथ के ईख के खेत में मेड कि किनारे मिला था जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर वादी मृतका के पति खलील अहमद की तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज पर मु0अ0सं0 291/2021 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय के निर्देशन में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नवाबगंज महोदय के कुशल नेतृत्व में अभियोग का अनावरण कर दोषी संदिग्ध अभियुक्त की गिरफ्तारी व घटना के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था उच्चाधिकारियों के निर्देशन में मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा विवेचना के दौरान सुरेश पुत्र श्री छेदालाल का नाम संदिग्ध पाया गया क्योंकि घटना के आस पास घटनास्थल के घटना के समय में आस पास सुरेश देखा गया था जिसकी तलाश कर पूछताछ की गयी तो सुरेश उपरोक्त ने अपना जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि दिनांक 17/7/2021 को समय 10.00 बजे के आस-पास ग्राम सिजौलिया की चार औरतें हमारे खेतों की तरफ घास काटने आयी थी मैं अपने इंजन से अपने धान की फसल में पानी लगा रहा था। मैंने इनसे अपने परिवार व गांव वालो के गन्ने के खेतों में घास काटने से मना किया था तीन औरतें घास काटने के लिए दूसरे के खेत में चली गयी थी फिर मैं पुनः वापस आया तो एक औरत मेरे परिवार के चाचा मेघनाथ के ईख के खेत में घास काट रही थी मैंने घास काटने को मना किया तो वह मानने को तैयार नहीं थी तब मैंने इसका हाथ पकड कर छिटक दिया तो वह औरत मेरे ऊपर हंसिया लेकर हमलावर हो गयी थी। मैंने गुस्से में उसके गले में उसके दुपट्टे से फंदा लगाकर गला घोट दिया और उसको औंधे मुंह डाल दिया तथा भ्रमित करने के लिए उसके कपड़े अस्त व्यस्त करके शव को गन्ने के खेत में छुपा दिया था और मैं वहां से अपने इंजन पर चला गया वहां से फिर अपने घर चला गया था। अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर रेलवे फाटक डडिया वीरमनगला के पास से गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है। मृतका के पास घास काटने वाली हंसिया को मौके से बरामद नहीं हुआ था अभियुक्त सुरेश की निशादेही पर घटनास्थल से कुछ दूरी से खेत से बरामद कर लिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सुरेश पुत्र छेदालाल उम्र करीव 45 वर्ष निवासी डडिया वीरमनगला थाना नवाबगंज जिला

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

सुरेश पुत्र छेदालाल उम्र करीव 45 वर्ष निवासी डडिया वीरमनगला थाना नवाबगंज जिला बरेली
मु0अ0सं0 0291/2021 धारा 302, 201 भादवि थाना नवाबगंज जिला बरेली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

प्रभारी निरीक्षक धनन्जय सिंह थाना नवाबगंज बरेली
व0उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना नवाबगंज बरेली
उ0नि0 श्री सोनू कुमार थाना नवाबगंज जिला बरेली
हे0का0775 सुमित शर्मा थाना नवाबगंज बरेली
का0 2863 राहुल कुमार थाना नवाबगंज बरेली
हे0का0 चालक शिवदास पाण्डेय थाना नवाबगंज बरेली

(धनन्जय सिंह)
प्रभारी निरीक्षक
थाना नवाबगंज, बरेली